उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-174 /2019/2241/92-2-19-30एम/2018

लखनऊ:: दिनांक 25 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बिजनौर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुये पद के विपरीत कार्य किये जाने हेतु प्रथमप्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राजकुमार अग्रवाल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बिजनौर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-170/2018/2786//92-2-18-30एम/2018 दिनांक 29-11-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ द्वारा नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र सं0-112/ग्रा0अ0वि0/वैस0सहा0/पत्रा0-28/2019-20 दिनांक 08-05-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री राजकुमार अग्रवाल पर अधिरोपित एक मात्र आरोप पूर्णरूप से स्थापित पाया गया। अपचारी अधिकारी श्री अग्रवाल पर स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 06-05-2019 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री अग्रवाल को प्रेषित करते हुये शासन के पत्र सं0-1110/92-2-19-30एम/2018 दिनांक 23-05-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-23/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0-जांच/2019-20 दिनांक 07-07-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी को प्रखण्ड-बिजनौर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के कुछ प्राक्कलन अपनी हैसियत से एवं कुछ प्राक्कलन अधिशासी अभियंता से करते हुये प्राक्क्लनों की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी। इस संबंध में अपचारी अधिकारी का कथन है कि प्रखण्ड-बिजनौर में किसी अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती न होने के दृष्टिगत उनको प्रखण्ड-बिजनौर के वित्तीय एवं नीतिगत मामलो को छोडकर जनपद स्तर पर आहूत बैठकों तथा प्रखण्ड स्तर से प्राप्त एवं प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को भेजने हेतु नामित किया गया। उक्त अवधि में उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त मौखिक निर्देशों के क्रम में शासकीय कार्यहित एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में उनके द्वारा कुछ प्राक्कलनों पर सहायक अभियंता की हैसियत से एवं कुछ पर अधिशासी अभियंता की हैसियत से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इस संबंध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि यदयपि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती न होने के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें यदयपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नही पायी गयी है किन्तु मात्र उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में अपने अधिकारों से इतर कार्य कराने का अधिकार श्री अग्रवाल को प्राप्त नही हो जाता और इस कृत्य हेतु उन्हें दोषमुक्त नही किया जा सकता है।

4- श्री राजकुमार अग्रवाल पर अधिरोपित एक मात्र आरोप पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 29-08-2019 द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राजकुमार अग्रवाल द्वारा किये जाने अपना प्रत्यावेदन दि0 28-09-2019 प्रस्तुत करते हुय अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तत्समय किसी अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती न होने के कारण उनके द्वारा जनपद में जिला स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग किये जाने पर सांसद/विधायक/ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/शासकीय कार्यहित/अत्यन्त महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर पर शासन के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकरी एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना उनका परम कर्तव्य था। उक्त के दृष्टिगत उन्होने अपने विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 29-08-2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

श्री राजकुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी अधिशासी अभियंता की नियमित तैनाती न होने के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें यद्यपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी है, किन्तु मात्र उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में श्री अग्रवाल को अपने अधिकारों से इतर कार्य कराने का अधिकार प्राप्त नही हो जाता है।

अत: श्री राजकुमार अग्रवाल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बिजनौर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री अग्रवाल का प्रत्यावेदन दिनांक 28-09-2019 को बलहीन पाये जाने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-174/2019/2241/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री राजकुमार अग्रवाल, तत्का0 सहा0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-बिजनौर सम्प्रति प्रखण्ड हापुड द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in